प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 29 मार्च, 2014**

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजन के अन्तर्गत प्रिपरेटरी एक्टीविटीज हेतु 42-अन्य व्यय मद में धनराशि रू0-690404/- की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0-1427-31/विविध/2013-14, दिनांक 26 मार्च, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-20/243/58-2-2014-300(15)/2013, दिनांक- 20.03.2014 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण योजना के अन्तर्गत प्रिपरेटरी एक्टीविटीज हेतु धनराशि रू0-38,91 हजार (रूपया अडतीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर उपलब्ध है।

3. उक्त धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके प्रस्तावानुसार 42-अन्य व्यय मद में (संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार) व्यय किये जाने हेतु रू0-690404/-(रूपया छः लाख नब्बे हजार चार सौ चार) मात्र की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं होगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

4- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

6- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

7- उक्त धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासनादेश् संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक- 26 अक्टूबर, 2009 में मितव्यिता हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाय।

8- उक्त अवमुक्त धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा मुख्य वित्त नियंत्रक उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के.75/रा.25-के.+ रा.)-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-21/267(1)/58-2-2014, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद इलाहाबाद।
(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-21/267/58-2-2014-300(1)/2014, दिनांक- 29 मार्च, 2014 का संलग्नक :-

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	व्यय की अनुमानित धनराशि मय वैट (रूपये में)
1	विजन डाक्यूमेन्ट तैयार करने हेतु निफटम को प्रथम किस्त का भुगतान		4,32,000.00
2	परियोजन प्रस्तावों के अप्रेजल हेतु नैब्कान्स के बिल का भुगतान		1,26,000.00
3	हिटैची मल्टि मीडिया प्रोजेक्टर सी0पी0एक्स 4015 विध लैम्प 4000 ल्यूमनस, स्क्रीन सहित	01	82,704.00
4	इन्वर्टर मय बैटरी	02	49,700.00
	योग-	**03**	**6,90,404.00**

(रूपया छः लाख नब्बे हजार चार सौ चार मात्र)

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in